न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –280 / 2024

अनवान : –

1. पुरूषोतम कुमार पुत्र तिलोकचन्द जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 30/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 84 / 77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 68 / 56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562 / 3371 हिस्सा भूमि प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द का दिनांक 24.02.2024 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.01.2023 को उक्त दोनों खातों की एक वसीयत वादी के पक्ष में दो गवाहन की उपस्थिति में तहरीर करवायी थी यह वसीयतकर्ता की प्रथम व अन्तिम वसीयत थी। रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 84 / 77 की कुल 1. 7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 68 / 56 की कुल 6. 7420 हैक्ट भूमि में से 562 / 3371 हिस्सा भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी तथा वसीयतनामा में तहरीर करवाया था कि मेरे भतीजे पुरूषोतम कुमार पुत्र तिलोकचन्द से मेरा अपार स्नेह बना हुआ है पुरूषोतम कुमार मेरी सेवा चाकरी जिस कारण वसीयतकर्ता ने अपने स्वथचित से अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी। मुताबिक वसीयतनामा वादी वसीयत भूमि पर काबिज है। वसीयत पर दो गवाह ओम प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 1 नोहर तहसील नोहर व योगेन्द्र पुत्र कृष्णकुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में तहरीर करवाकर व पढ़ सुन व वसीयतनामा सही होना स्वीकार कर अंगुठा निशान / हस्ताक्षर दर्ज किये।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को ... कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। ... आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोष... कि जावें की उक्त ... भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

... अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान ओम प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 1 नोहर तहसील नोहर व योगेन्द्र पुत्र कृष्णकुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता अविवाहित फौत हो चुका है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 25 एनटीआर सम्वत 2069–72 खाता संख्या 68/56 व जमाबंदी रोही मौजा 15 बारानी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 84/77, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रयागचन्द, चित्रप्रति वसीयतनामा आदि दस्तावेज पेश किये। श्री निरंजन कुमार जांगिड़ पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी नोहर, सुरेन्द्र पाल पुत्र हरीसिंह बैनीवाल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर, लाकेश कुमार पुत्र संपत मल जाति ओसवाल निवासी नोहर द्वारा वसीयत में अंकित समस्त तथ्य सही होने बाबत शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द का दिनांक 24.02.2024 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.01.2023 को उक्त दोनों खातों की एक वसीयत वादी के पक्ष में दो गवाहन की उपस्थिति में तहरीर करवायी थी यह वसीयतकर्ता की प्रथम व अन्तिम वसीयत थी। रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 84/77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 68/56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562/3371 हिस्सा भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी तथा वसीयतनामा में तहरीर करवाया था कि मेरे भतीजे पुरूषोतम कुमार पुत्र तिलोकचन्द से मेरा अपार स्नेह बना हुआ है पुरूषोतम कुमार मेरी सेवा चाकरी जिस कारण वसीयतकर्ता ने अपने स्वथचित से अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी। मुताबिक वसीयतनामा वादी वसीयत भूमि पर काबिज है। वसीयत पर दो गवाह ओम प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 1 नोहर तहसील नोहर व योगेन्द्र पुत्र कृष्णकुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में तहरीर करवाकर व पढ़ सुन व वसीयतनामा सही होना स्वीकार कर अंगुठा निशान/हस्ताक्षर दर्ज किये। अतः उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी सा[illegible] सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस [illegible]र मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 बारानी

[illegible] अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 84/77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 68/56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562/3371 हिस्सा भूमि प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द का दिनांक 24.02.2024 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.01.2023 को उक्त दोनों खातों की एक वसीयत वादी के पक्ष में दो गवाहन की उपस्थिति में तहरीर करवायी थी यह वसीयतकर्ता की प्रथम व अन्तिम वसीयत थी। रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 84/77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 68/56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562/3371 हिस्सा भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी। वसीयत पर दो गवाह ओम प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 1 नोहर तहसील नोहर व योगेन्द्र पुत्र कृष्णकुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर ने शपथ पेश किया की उक्त वसीयत सही है एवं वसीयतकर्ता लावल्द फौत हो चुका है तथा श्री निरंजन कुमार जांगिड़ पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी नोहर, सुरेन्द्र पाल पुत्र हरीसिंह बैनीवाल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर, लाकेश कुमार पुत्र संपत मल जाति ओसवाल निवासी नोहर द्वारा वसीयत में अंकित समस्त तथ्य सही होने बाबत शपथ पत्र पेश किये गये। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वांद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 84/77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 68/56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562/3371 हिस्सा भूमि में मृतक प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –280/2024

प्रकरण संख्या –280/2024

अनवान : –

1. पुरूषोतम कुमार पुत्र तिलोकचन्द जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 280 सन 2024 निर्णय दिनांक – 30/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 84/77 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 68/56 की कुल 6.7420 हैक्ट भूमि में से 562/3371 हिस्सा भूमि में मृतक प्रयागचन्द पुत्र अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested